राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीम का थाना

न्यायालय बइजलास अनिल कुमार (आर.ए.एस) अति0 जिला कलक्टर, नीम का थाना
पीठासीन अधिकारी का नामः– अनिल कुमार (आर.ए.एस)
अपील संख्याः– 286/2021

उनवान

1. पतासी देवी पत्नी स्व. रामेश्वर
2. प्रहलाद पुत्र स्व. रामेश्वर

समस्त जाजि जाट (गौत्र कुड़ी) निवासी करड़का तहसील श्रीमाधोपुर, जिला नीम का थाना।

------अपीलान्ट्स

बनाम

1. रूपकला उर्फ रूपदेवी उर्फ रूपबाला पत्नी महादेव पुत्र हमीरा (गौत्र बराला) जाति जाट निवासी घाटमदासवाली तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीम का थाना।
2. सत्यवीर पुत्र महादेव जाति जाट निवासी घाटमदासवाली तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीम का थाना हाल निवास जी–25 सिद्धार्थ नगर, जगतपुरा रोड मालवीय नगर, जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
3. धर्मवीर पुत्र महादेव
4. धर्मराज पुत्र महादेव

   समस्त जाति जाट निवासीगण घाटमदास वाली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल आबाद 142 बी 2 नन्दपुरी मालवीय नगर सैक्टर 11 के पास जयपुर।
5. देवकरण पुत्र इन्दरराजराम जाति जाट निवासी ढाणी सुबेदारजी वाली तन ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीम का थाना।
6. तहसीलदार श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीम का थाना।

-------रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 602 दिनांक 29.10.2015
ग्राम कुरड़का पटवार हल्का कुरड़का तहसील श्रीमाधोपुर।

उपस्थितः– श्री सुशील कुमार, अधिवक्ता ---- **अपीलान्टस**
श्री मनीराम जाखड़, अधिवक्ता ------**रेस्पोडेन्ट**

निर्णय **दिनांकः– 09.05.2024**

संक्षेप्त में अपील अपीलान्ट इसप्रकार है कि भूमि खसरा नं. 199, 206, 518, 519, 523 कुल किता 5 कुल रकबा 10.48 है0 तन ग्राम करड़का तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है। जिसके 1/4 भाग पर काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से अपीलान्ट का पिता [illegible] बल्ला कुड़ी काबिज काश्त रहा है जिसका राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में स्पष्ट रूप से संवत 20[illegible] से 2[illegible] तक अंकन है। जिस पर अपीलान्ट आज भी काबिज काश्त चला आ रहा है। परन्तु अपीलान्ट के पिता [illegible] पुत्र बल्ला का स्वर्गवास होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के पति व पिता महादेव रामबक्स पुत्र हमीरा ने चालाकीपूर्वक [illegible] संपूर्ण कार्यवाही फ्रॉडली करते हुये तत्कालीन राजस्व अधिकारीयों व ग्राम पंचायत से षड़यंत्र कर [illegible] के पिता कि विरासत का नामान्तरकरण हमीरा के पुत्र महादेव व रामबक्साराम ने अपने पक्ष में स्वीकृत करवा लिया। अपीलान्ट के पिता कि विरासत में सर्वथा फर्जी कार्यवाही करते हुये इन्द्राज करवाया तत्पश्चात् महादेव

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नीमकाथाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.06.03 15:58:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

का स्वर्गवास होने पर वादग्रस्त भूमियों कि खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के नाम आ गई। रेस्पोडेन्ट द्वारा गलत व नाजायज रूप से हुयी खातेदारी भूमि का नाजायज फायदा उठाकर वादग्रस्त भूमियों के बाबत् सर्वथा अवैध व अनाधिकृत विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 5 देवकरण पुत्र इन्द्राज व भींवाराम पुत्र मांगूराम के नाम दिनांक 25.04.2012 को निरपादित करवा दिया। जबकि पूर्व के विक्रय पत्रो के बाबत् अपीलान्ट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के समक्ष विक्रय पत्रों को अवैध प्रभावशील व शुन्य घोषित करवाने तथा खातेदारी अधिकारों कि उदघोषणा के लिए वाद प्रस्तुत किया था एवं वाद के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक 29.09.2014 वादग्रस्त भूमियों के बाबत् रिकार्ड व मौके कि यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश पारित किया जो आज भी प्रभावी है। न्यायालय का स्थगन होते हुये भी अवैध विक्रय पत्र दिनांक 14.09.2015 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 602 दिनांक 29.10.2015 को स्वीकृत कर लिया। नामान्तरकरण संख्या 602 विक्रय पत्र दिनांक 25.04.2012 जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 द्वारा, रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के पक्ष में करवाया गया। अपीलान्ट द्वारा समक्ष राजस्व न्यायालय में चुनौति दे दी गई जिसमें हल्का पटवारी व तहसीलदार श्रीमाधोपुर पक्षकार है। समक्ष न्यायालय द्वारा दिनांक 29.09.2014 को वादग्रस्त भूमियों के रिकार्ड व मौके कि यथा स्थिति बनाये रखने बाबत् आदेश पारित कर दिया गया। उसके बावजूद भी विक्रय पत्र कि तारिख के साढ़े तीन वर्ष पश्चात् हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 18.09.2015 को नामान्तरकरण भरकर हल्का गिरदावर के समक्ष पेश किया। जिसमें हल्का गिरदावर थोई द्वारा स्पष्ट रूप से न्यायालयों में प्रकरण विचाराधीन है। जिस पर बिना कोई गौर किये तथा नामान्तरकरण ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किये बिना तहसीलदार द्वारा स्वीकृत करने कि गम्भीर भूल कि गई है। यहाँ यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि हल्का गिरदावर द्वारा रिपोर्ट दिनांक 19.10.2015 को कि गई है जिसे नामान्तरकरण तस्दीक करने के समय बदनियति से फ्रॉड करके कटिंक कर दिनांक 19.09.2015 बनाया गया है। जबकि 19.09.2015 को राजकीय अवकाश था। नामान्तरकरण ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत न कर ग्राम पंचायत कि समय सीमा में ही तहसीलदार द्वारा दिनांक 29.10.2015 को क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर स्वीकृत करवाया गया जो खारिज होने योग्य है। राजस्व मण्डल अजमेर के न्यायालय से निगरानी संख्या 5497/2015 जिला सीकर देवकरण बनाम रामेश्वर वगै. व निगरानी संख्या 5490/2015 जिला सीकर धर्मवीर बनाम हरिनारायण वगै. में पारित आदेश दिनांक 30.10.2015 के द्वारा उक्त दोनो निगरानी खारिज कर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के स्थगन आदेश को बहाल रखा है। इसलिए नामान्तरकरण संख्या 602 खारिज होने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कि जाकर नामान्तरकरण संख्या 602 दिनांक 29.10.2015 ग्राम करड़का तहसील श्रीमाधोपुर को खारिज किया जावे। नामान्तरकरण संख्या 602 कि आड़ में रेस्पोडेन्ट संख्या वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 199, 206, 518, 519, 523 कुल किता 5 रकबा 10.48 है0 ग्राम करड़का तहसील श्रीमाधोपुर में अपीलान्ट के हक हिस्से में दखंलअंदाजी करने, सींव नींव नष्ट करने, भूमियों के विक्रय करने, अपीलान्ट को बेदखल करने कि कुचेष्टा में प्रयासरत है।

अपील अपीलान्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कि गयी एवं जरिये नोटिस रेस्पोडेन्ट को तलब किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3, 4, 5 के ओर से अधिवक्ता मनीराम जाखड उपस्थित आये एवं शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद तामिल अनुपस्थित रहे।

वकुलाय उभय पक्ष कि बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बताया कि भूमि खसरा नं. 199, 206, 518, 519, 523 कुल किता 5 कुल रकबा 10.48 है0 तन ग्राम करड़का तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है। जिसके 1/4 भाग पर काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से अपीलान्ट का पिता भौमा पुत्र बल्ला कुड़ी काबिज काश्त रहा है। अपीलान्ट के पिता भौमा पुत्र बल्ला का स्वर्गवास होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के पति व पिता महादेव रामबक्श पुत्रगण हमीरा ने चालाकी पूर्वक मय साजिस सम्पूर्ण कार्यवाही फ्रॉडली करते हुए राजस्व अधिकारीयों/कर्मचारियों व ग्राम पंचायत से षड़यंत्र रचकर अपीलान्ट के पिता कि विरासत का नामान्तरकरण हमीरा के पुत्र महादेव व रामबक्साराम ने अपने पक्ष में स्वीकृत करवा लिया। अपीलान्ट जाट जाति में कुड़ी गौत्र से है [illegible] महादेव व रामबक्स जाति जाट बराला गौत्र से है। अपीलान्ट के पिता कि विरासत में फर्जी कार्यवाही करके इन्द्राज करवाया है। अपीलान्ट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के समक्ष विक्रय पत्रों को अवैध प्रभावशील व शुन्य घोषित करवाने तथा खातेदारी अधिकारों कि उदघोषणा के लिए वाद/प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था। प्रार्थना-पत्र में मौके व रिकॉर्ड कि यथास्थिति रखने का आदेश पारित किया गया था जो आज भी प्रभावी है। नामान्तरकरण संख्या 602 जो स्थगन आदेश के दौरान स्वीकृत किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। नामान्तरकरण ग्राम पंचायत में पेश नहीं किया एवं तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया है। हल्का गिरदावर द्वारा रिपोर्ट दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.06.03 15:58:39 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नीमकाथाना

Scanned with OKEN Scanner

19.10.2015 को कि गई है। जिसे नामान्तरकरण तस्दीक करने के समय बदनियती से फ्रॉड करके कटिंग कर दिनांक 15.09.2015 बनाया गया है। जबकि 15.09.2015 को राजकीय अवकाश था। तहसीलदार द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर नामान्तरकरण स्वीकृत किया है जो अवैध है। अतः नामान्तरकरण निरस्त किया जावे। वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस आर.आर.डी. मार्च 2006, पेज 131 एवं आर.आर.डी. जून 2006 पेज 351, आर.आर.डी. 1973 पेज 13 नजीर पेश करते हुये नामान्तरकरण संख्या 602 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बताया कि वकील अपीलान्ट द्वारा अपील में गलत तथ्य अंकित किये है। तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण संख्या 602 जो सही भरा गया है एवं विरासत के आधार पर गया नामान्तरकरण भी सही भरा गया है। अपीलान्ट को नामान्तरकरण कि सम्पूर्ण जानकारी पूर्व से थी। अपीलान्ट द्वारा गलत तथ्य अंकित कर अपील पेश कि गई है। नामान्तरकरण भरते समय सम्पूर्ण दस्तावेजों कि जाँच कि जाकर नामान्तरकरण दर्ज कर स्वीकृत करवाया गया है। जिसमें किसी प्रकार कि कोई त्रुटि नहीं है। नामान्तरकरण भरा गया उस वक्त पटवारी हल्का द्वारा यह अंकित किया गया है कि वर्तमान में इस खाते पर कोई स्थगन नहीं है। नामान्तरकरण भरने के पश्चात जरिये विक्रय पत्र भूमि का बेचान हुआ है। जो सही है। अपीलान्ट द्वारा केवल मात्र रेस्पोडेन्ट को परेशान करने कि गर्ज से अपील प्रस्तुत कि गई है। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा दौराने बहस आर.आर.टी. 2018(2) पेज 1552 नजीर पेश करते हुये अपील खारिज कि जाने का निवेदन किया।

वकुलाय उभय पक्ष कि बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं प्रस्तुत नजीरों का अध्ययन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 602 आदेश दिनांक 29.10.2015 को न्यायालय हाजा में चुनौति दि गई है। नामान्तरकरण संख्या 602 के अवलोकन से पाया गया कि उक्त नामान्तरकरण मुताबिक विक्रय पत्र के भरा गया है।

जब तक आधार दस्तावेज जो कि एक पंजीबद्ध दस्तावेज है, को सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज नहीं कर दिया जाता है, तब तक उसके आधार पर दर्ज नामान्तरकरण संख्या 602 जो तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा तस्दीक किया गया है, पूर्णतः सही प्रतीत होता है। नामान्तरकरण दर्ज करते वक्त पटवारी व गिरदावर द्वारा सभी पविष्टीयों का अंकन स्पष्ट रूप से किया हुआ है। उक्त नामान्तरकरण बाबत् इस स्तर पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 602 आदेश दिनांक 29.10.2015 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (सीकर)

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नीमकाथाना,

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.06.03 15:58:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner